न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 111/2017 **दायरा दिनांक : 21.08.2017**

उनवान

1— बद्रीलाल पुत्र गोमदा, जाति लोधा, निवासी टोडरी मीरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— श्रीलाल पुत्र गोमदा, जाति लोधा, निवासी टोडरी मीरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

श्रीकिशन पुत्र गंगाराम, जाति लोधा, निवासी टोडरी मीरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री जाकिर मोहम्मद अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.02.2018**

1— यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या — 8/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2– अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम टोडरी मीरा, तहसील मनोहरथाना में खाता संख्या नया 314 पुराना 304 की आराजी खसरा नम्बर 887 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 295 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 299 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 408 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 435 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 779 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 829 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 831 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 832 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 839 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1151 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1174 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1212 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 15 किता की 18 बीघा 16 बिस्वा आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदार के शामलाती खाते में दर्ज है । खसरा नम्बर 431 की 5 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 ने जबरदस्ती 15 – 20 दिन पूर्व कब्जा कर लिया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है जब उनसे कब्जा हटाने के लिए कहा गया तो उसने कब्जा नहीं हटाया । अतः वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 30.06.2017 को दावा वादी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3– अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि बिना सहमति के लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया था । केवल उपस्थिति के हस्ताक्षर किये गये थे । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता के समय से कई वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी का दावा बेरून मियाद है । अतः अपील

अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4— अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लोक अदालत में बिना राजीनामे के निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट का दावा भी लम्बित है जिसका निर्णय नहीं किया गया है । दोनों दावों को समेकित किया जाना चाहिए था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज हे । अपीलांट उस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7— हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा । लोक अदालत में दिनांक 30.06.2017 को वादी श्रीकिशन, प्रतिवादी ब्रदीलाल व प्रतिवादी श्रीलाल उपस्थित थे ।

8— अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.06.2017 के अनुसार प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर यह जाहिर किया है कि हमारा वादी की आराजी पर कब्जा नही है। वादी की आराजी की पैमाईश करा जी जाये यदि कब्जा पाया जाये तो हमें बेदखल कर दिया जाये।

अपीलांटगण अपील में इसके विपरित कथन करने से Estopped है। यदि अपीलांटगण ऐसा महसूस करते है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार उन्होने सहमति नहीं दी थी तो वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी डिक्री में तहसीलदार को अधिकृत किया है कि पैमाईश में प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाये तो उन्हे बेदखल किया जाये। विचारण न्यायालय इस प्रकार अपनी शक्तियों का अंतरण तहसीलदार को कर कन्डीशनल ऑडर जारी नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को तहसील से पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त कर अतिक्रमण पाये जाने की स्थिति में स्पष्ट रूप से बेदखली की डिक्री पारित करनी चाहिए । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है।

9– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 8 में किये गये विवेचन के अनुसार तहसील से पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त कर स्पष्ट रूप से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.04.2018 को उपस्थित होवे ।

10– निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा